



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264146
CG-DL-E-25062025-264146

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2742]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947

No. 2742]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

का.आ. 2808(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 793 तारीख 13/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के मण्डी जिले में NH154 के कि.मी. 202.815 से कि.मी. 208.000 गाँव का नाम सिल्हा किप्पर (लैंड एक्स्प्रेस रोड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09.03.2025" को "अर्थ प्रकाश" और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH154 के कि.मी. 202.815 से कि.मी. 208.000 गाँव का नाम सिल्हा किप्पर(लैंड एक्सिजिशन मण्डी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: मंडी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंडी					
गाँव का नाम: सिल्हा किप्पर (341)					
1	110/2/1	निजी (निजी)	कृषि	0.0297	तारा चांद, यशोधन सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मणी भाग बराबर स्थानीय वासी 110/2/1
Total				0.0297	

[फा. सं. 11011/23/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2025

S.O. 2808(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **793 Dated:13/02/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH154 in the stretch of land from Km. 202.815 to Km. 208.00 (Land Acquisition Mandi) in the village Silha Kippar namely in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Arth Prakash” and “The Times of India” both dated 09.03.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH154 in the stretch of land from Km.202.815 to Km. 208.000 (Land Acquisition Mandi) in the village namely Silha Kippar in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH		District: MANDI			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mandi					
Village: Silha Kippar (341)					
1	110/2/1	Private	Agriculture	0.0297	Tara Chand, Yashodhan Singh son of Amar Singh son of Mano local resident 110/2/1
Total				0.0297	

[F. No. 11011/23/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director